

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

23/11/2024

पजावली आज प्रशासन गाँवो के संग अरिमा
मावण्डा RS में पेश हुई। वादीगण व प्रति
उपस्थित आये। प्रशासन की उपस्थिति में
तहसीलदार नौमकाथाना द्वारा प्राथमिक डिफि
19/6/2017 की पालन में विभाजन प्रस्ताव
का पेश किया। विभाजन प्रस्ताव प्रशासन
के मध्य मंडे पर कब्जा कर्षत व हिस्सा
तैयार कर प्रस्तुत किया है। विभाजन प्र
से उभय पक्ष सहमत है। अतः विभाजन प्र
अनुसार रावा वादी अन्तिम रूप से डिफि
जाग उचित समझे है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर
वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
से डिफि किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी
पृथक-पृथक काबिज रखते हुए कर्षतकार
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय न
डिफि का भाग समझा जावे। तदनुसार
रिफाई में अमल दरामद हेतु पर्या डिफि
है। पजावली के सल शुगर होकर नम्बर
होकर दफतर दाखिल है।

निर्णय प्रशासन गाँवो के संग अरिमा
के मय मावण्डा RS में अजमे आम में सुना

डिकरी व मुकदमे इकदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix

अदालत
इजलास
माली देवी पत्नि नाथूराम वगैरे
उपखण्ड अधिकारी
बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)
नाथूराम वगैरे

मुकाम
उपखण्ड अ
बनाम

-वादीगण-

दावा बाबत तकाम्मा एवं स्थाई
मुकदमा नं. 250 सन

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-
नौमकाथाना व हाजरी श्री शम्भूदयाल अ
श्री राजेन्द्र कुमार सैनी एडवोकेट प्रतिवादी
या जाता है व डिकरी दी जाती है कि तहसी
अनुसार दावा वादी अन्तिम रूप से डिफि किया
प्रस्ताव के पृथक- पृथक काबिज खातेदार
मय नक्शा डिफि का भाग समझा जावे। तदनुसार
मुबलिग.....x.....

मुकदमों के मय सूद बशरह.....
ने तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....
मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज

	रुपया	पै.
अर्जी दावा		
वकालतनामा		
वजह सबूत		
ना वकील		
वाहान		
कमिश्नर		
इजराय हुकूमना		
रेक		
(बृजेश)		
	मी. नान	